कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के0व्ही उपकेन्द्र गेरवानी में प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. लाईन तक 132 के.व्ही. डी.एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु रायगढ़ जिला में वनमण्डल के **ग्राम पाली, देलारी** गांव के राजस्व वनभूमि व्यपवर्तन हेतु शासकीय वनभूमि 1.723 हे. वनभूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया हैं, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की प्रभावित रकबा 1.723 हे. वन भूमि निरंक एवं राजस्व वनभूमि 1.723 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा क्रमशः **ग्राम पाली एवं देलारी** तहसील रायगढ़ में स्थित है, में तदनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र क्रमांक/11-9/98-एफ.सी.(पी.टी.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05.02.2013 के द्वारा जहां विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.सी.) एवं कृषि पूर्ण समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हो वहां सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, आप्टिकल फाइवर बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन (रैखिक व्यपवर्तन) के लिये ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है।

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे. में)
1	पाली	निरंक	निरंक
2	देलारी	निरंक	निरंक
3	लाखा वन कक्ष कमांक 881	निरंक	निरंक
योग 3 ग्राम		--	--

यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन राजस्व वनभूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

4 सयुंक्त सत्यापन प्रतिवेदन के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष– जिला वन अधिकार समिति
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के0व्ही उपकेन्द्र गेरवानी में प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. लाईन तक 132 के.व्ही. डी.एस. लाईन का निर्माण कार्य हेतु रायगढ़ जिला में वनमण्डल के **ग्राम बिंजकोट** के राजस्व वनभूमि व्यपवर्तन हेतु शासकीय वनभूमि 0.985 हे. वनभूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया हैं, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि निरंक एवं/ राजस्व 0.985 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा कमशः **ग्राम बिंजकोट** तहसील खरसिया में स्थित है, में तदनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र कमांक/11–9/98–एफ.सी.(पी.टी.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05.02.2013 के द्वारा जहां विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी.सी.) एवं कृषि पूर्ण समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हो वहां सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, आप्टिकल फाइवर बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन (रैखिक व्यपवर्तन) के लिये ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है।

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	बिंजकोट	खरसिया	निरंक	निरंक

प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वनभूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

4 सयुंक्त सत्यापन प्रतिवेदन के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष– जिला वन अधिकार समिति
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के0व्ही उपकेन्द्र गेरवानी में प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाले राजस्व वन भूमि जो तहसील तमनार एवं घरघोड़ा के ग्राम सराईपाली, भुईकुर्री, हर्रीडीह, छर्राटांगर, अमलीडीह, बैहामुड़ा, टेरम, फगुरम, ग्राम के राजस्व वनभूमि व्यपवर्तन हेतु शासकीय वन भूमि 4.303 वनभूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1– प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया हैं, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की प्रभावित रकबा 4.303 हे. राजस्व वन भूमि एवं आरक्षित वनभूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम सराईपाली, भुईकुर्री, हर्रीडीह, छर्राटांगर, अमलीडीह, बैहामुड़ा, टेरम, फगुरम, में स्थित है। तदनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र क्रमांक/11–9/98–एफ.सी. (पी.टी.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05.02.2013 के द्वारा जहां विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.सी.) एवं कृषि पूर्ण समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हो वहां सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, आप्टिकल फाइवर बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन (रेखिक व्यपवर्तन) के लिये ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

अथवा

क.	ग्राम का नाम	तहसील	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0 में)
1	सराईपाली	तमनार	भोकोदोलो, चमरा, करिया व मिलन	0.270
2	भुईकुर्री	तमनार	निरंक	निरंक
3	हर्रीडीह	तमनार	निरंक	निरंक
4	छर्राटांगर	घरघोड़ा	निरंक	निरंक
5	अमलीडीह	घरघोड़ा	निरंक	निरंक
6	बैहामुड़ा	घरघोड़ा	निरंक	निरंक
7	टेरम	घरघोड़ा	निरंक	निरंक
8	फगुरम	घरघोड़ा	निरंक	निरंक
योग 8 ग्राम		–	–	0.270

यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन राजस्व वनभूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

4 सयुंक्त सत्यापन प्रतिवेदन के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष– जिला वन अधिकार समिति
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)